न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या — 14/2022
बनाम

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. फोटाराम पुत्र डायाराम 2. भीमाराम पुत्र डायाराम जाति मेघवाल निवासी सोढो की बस्ती गंगाला।	बनाम	1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती

आदेश

दिनांक 18.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गंगाला पटवार क्षेत्र गंगाला तहसील रामसर के खसरा संख्या 217/109 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 217/113 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा व खसरा संख्या 217/110 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 65 बीघा 07 बिस्वा भूमि आंवटन की गई थी उक्त भूमि का आंवटन नक्शा मय तरमीम उक्त आंवटन आदेश के पीछे चस्पा किया गया था उसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है। मौजा गंगाला में नाये राजस्व ग्राम सृजित किये गये तथा उक्त नवसृजित ग्रामों में प्रार्थीगण के पूर्वतज डाया पुत्र सुमार को जो खातेदारी भूमि आंवटित की गई थी वह मौजा सोढो की बस्ती तहसील रामसर में दर्शित की गई है तथा उस अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज काबिज एवं काश्त करते आ रहे है । प्रार्थीगण के पूर्वज डाया पुत्र सुमार के स्वर्गवास के बाद डाया के विधिक वारिशान का निर्बाध रूप से कब्जा व काश्त है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 217/110 रकबा 12 बीघा जिसके वर्तमान नये खसरा संख्या 642/217 कायम किये गये उसको ग्राम सोढो की बस्ती ग्राम गंगाला में दर्शा दिया गया तथा प्रार्थीगण के अन्य खसरा संख्या 217/109 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 381/217 ,खसरा संख्या 217/113 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा व नये खसरे संख्या 384/217 को मौजा सोढो की बस्ती में दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार राजस्व अधिकारियेां द्वारा बिना किसी प्रार्थीगण के खसरा संख्या 217/110 रकबा 12 बीघा जिसके नये खसरा 642/217 को मौजा गंगाला मे दर्शा दिया गया। संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार तरमीम दुरस्ती करने एंव मौजा गंगाला से बदलकर मौजा सोढो की बस्ती तहसील रामसर में अंकित करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2024 को दर्ज किया गया।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा गंगाला पटवार क्षेत्र गंगाला के खसरा संख्या 217/110 रकबा 12 बीघा जिसके नये खसरा 642/217 को मौजा गंगाला से बदलकर मौजा सोढो की बस्ती में अंकित करने तथा संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/1075-76 दिनांक 18/3/24

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर ।
2. प्रार्थीगण फोटाराम पुत्र डायाराम वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर